राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम

भारत संघ एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 7337/2002)

7 मई, 2008

(एच. के. सेमा और मार्कंन्डेय काटजू, न्यायमूर्ति)

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226 सपठित अनुच्छेद 136- उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को केवल वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज करना - अभिनिर्धारित। अनुच्छेद 226 में वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता राहत देने के लिए बाधक नहीं है। भारत संघ ने स्पष्ट रूप से दायित्व को स्वीकार किया है, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ता को रेलवे वाद न्यायाधिकरण के समक्ष उसके वैकल्पिक उपचार के लिए वापस नहीं भेजना चाहिए था और उस आधार पर याचिका को खारिज नहीं करना चाहिए। मामले में तथ्यों का कोई विवादित प्रश्न नहीं है-उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है- उत्तरदातागण को स्वीकृत दायित्व का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने को आदेशित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार-सिविल अपील संख्या 7337/2002

बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांकित 02.03.2001 के रिट याचिका संख्या 1123/1997 से।

अपीलार्थी की और से - रमेश पी. भट्ट, दत्तात्रेय व्यास, महिमा सी. श्रोफ़ और चिराग एम. श्रोफ़।

उत्तरदातागण की और से - के. अमरीश्वरी, सुनील रॉय और अनिल कटियार।

न्यायालय द्वारा आदेश सुनाया गया।

यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 02.03.2001 रिट याचिका संख्या 1123/1997 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमें खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने के कारण अपीलकर्ता को वैकल्पिक उपचार का सहारा लेना चाहिए।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

कानून का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति के प्रयोग में राहत देने के लिए बाधक नहीं है।

वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने 4 मार्च, 1992 और 31 दिसम्बर, 1992 के बीच गुरला कोयला ले जाने के लिए रैक औरक्षित किये थे। अपीलार्थी से गलती से समय समय पर रुपये 3,56,69,671/- की राशि प्राप्त की गई, जो उत्तरदाता द्वारा स्वीकार की गई है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिवत रूप से संज्ञान में लिया गया है। यद्यपि हमारे दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय द्वारा वैकल्पिक उपचार के आधार पर दावे को गलत खारिज किया गया है। उपरोक्त आधारों पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को रेलवे वाद न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 13 के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक उपचार के लिए, रेलवे वाद न्यायाधिकरण में जाने के लिए, निर्देशित करते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया।

हमारा मत है कि चूंकि उत्तरदाता भारत संघ ने, स्पष्ट रूप से दायित्व स्वीकार किया है, तब उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को उसके वैकल्पिक उपचार के लिए नहीं

भेजना चाहिए था और उक्त आधार पर रिट याचिका को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले में तथ्य का कोई विवाद नहीं है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि वर्तमान मामले में उत्तरदाता ने अपना दायित्व स्वीकार कर लिया है, इसलिए उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया प्रश्न एक स्वीकृत तथ्य है, तब उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता को अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय का सहारा लेने का निर्देश नहीं देना चाहिए था।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हैं। यह अपील स्वीकार की जाती है। कोई हर्जाना अधिरोपित नहीं किया जाता है। उत्तरदातागण को 6 जनवरी, 1993 से भुगतान होने की तिथि तक, 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, आज से तीन महीने के भीतर, स्वीकृत दायित्व का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

आर पी अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती आशा कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।